

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 94 / 2021

उन्वान

- 1- जीवण कवर पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा
- 2- देबी सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- देबीलाल पिता भोजा गूर्जर निवासी करमडास तहसील शाहपुरा
- 2- श्रीमति अमृता बाहेती पत्नी गोरव कुमार बाहेती निवासी मकान नम्बर 31 टेलिफोन टावर के पीछे अशोक नगर भीलवाड़ा
- 3- देवेन्द्र सिंह पिता भवर सिंह राजपूत निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा
- 4- नारायण सिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा
- 5-6 ज्वाला सिंह, अमरसिंह पिता शम्भूसिंह राजपूत निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा
- 7-8 हिन्दू, गोपाल पिता सोनाथ गूर्जर निवासी काशीराजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 9- सेतान पिता बालू गूर्जर निवासी काशीरामजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति - श्री कन्हैयालाल धाकड
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 14/07/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण ग्राम उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 495/792 रकबा 0.36 है0, 498 रकबा 0.28 है0, 499 रकबा 0.60 है0 कुल किता 3 रकबा 1.24 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3 लगायत 7 व 9 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 2, 8 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम उम्मेदनगर संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उम्मेदनगर में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 3 रकबा 1.24 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहसहायक लेक्चरर

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.